अ0शा0 परिपत्र संख्याः डीजी-29/2014

ए0एल0 बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः मई 14, 2014

विषयः- धारा-498ए भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में अथवा इसी प्रकार के अन्य सम्बन्धित प्रकरणें में एफ.आई.आर. अंकित किये जाने एवं क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन संख्या:3322/2010 (In the Matrimonial Disputes Vs. State of U.P. and others) के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि जनपदीय पुलिस के समक्ष महिला उत्पीड़न, पारिवारिक कलह, दहेज की माँग, इत्यादि के सम्बन्ध में कई शिकायतें प्राप्त होती है। जहॉ एक ओर महिलाओं के साथ संज्ञेय अपराध घटित होने पर आवश्यक है कि विधि के अनुसार पति व उसके परिवार के नामित सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही हो, वहीं यह भी समझना आवश्यक है कि पति व अन्य की गिरफ्तारी के उपरान्त महिला का उसी परिवार में सामंजस्य पूर्ण जीवन व्यतीत करना लगभग असम्भव होगा। पारिवारिक कलह के प्रकरण इस दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील होते है। ऐसा भी पाया गया है कि यदि व्यवसायिक रूप से दोनों के बीच मध्यस्थता की जाय, तो सम्भव है कि महिला अपना पारिवारिक जीवन सकुशल व्यतीत कर सकती है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन संख्याः 3322/2010 में दिनांक 30.09.2011 को निर्देश भी पारित किये गये है, जिसके क्रम में गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्याः 89 /छः-पु0-15-2012 दिनांकः 23.03.2012 भी निर्गत किया गया है।

उक्त मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय व शासनादेश के क्रम में पारिवारिक कलह व विवाद तथा महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य योजना बनायी गयी है:-

1. थाने पर विवाह में प्रताड़ना की दो प्रकार की सूचनायें पीड़ित महिला के द्वारा दी जाती है-एक जो पारिवारिक कलह या मतभेद से सम्बन्धित है, परन्तु अपराध की श्रेणी में नहीं आती है और-दूसरी जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी की है।

2. (i) परिवार के कुसमायोजन (maladjustment in family), वैवाहिक कलह (marital discord) या पारिवारिक मतभेद (family dispute) के ऐसे प्रकरण, जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते है या जिसमें पीड़िता केवल सहायता या सहारा चाहती है और कानूनी कार्यवाही नहीं चाहती है, वे सभी प्रकरण महिला थाने में व्यवस्थित पारिवारिक परामर्श केन्द्र (family counseling centre) को सन्दर्भित किये जायेंगे।

(ii) प्रत्येक जनपद के महिला थाने में पारिवार परामर्श केन्द्र बनाया जायेगा। जनपद की ऐसी समाज सेवी संस्थायें, जो महिलाओं के साथ काम करती है, उनके माध्यम से 02 समाज सेवक (एक महिला व एक पुरूष) व प्रशिक्षित परामर्शदाता प्राप्त किया जाये। यदि जनपद स्तर से ऐसी समाज सेवी संस्था नहीं मिल पाती है, तो दो महिला पुलिस अधिकारी को इस कार्य हेतु प्रशिक्षित करवायें। यह प्रशिक्षण सी.बी.-सी.आई.डी. मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ में व्यवस्थित परिवार परामर्श केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मी परिवार परामर्श देते वक्त सादे वस्त्रों में रहेंगी।

(iii) यदि परिवार परामर्श केन्द्र में प्रकरण में सुलह हो जाती है, तो उसका अभिलेखीकरण कर पत्रावली में रखा जाये। थानाध्यक्ष (महिला थाना) भी प्रकरणों की नियमित समीक्षा करती रहेंगी और यदि वह आवश्यक समझती है, तो पति व उसके परिवार के सदस्यों को पत्नी के प्रति अच्छे व्यवहार करने हेतु धारा-107/116(3) Cr.P.C. के अन्तर्गत पाबन्द भी करा सकती है।

(iv) यदि महिला थाने में परामर्श के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच उच्चस्तरीय परिवार परामर्श केन्द्र में मध्यस्थता करने की आवश्यकता है, तो सी.बी.-सी.आई.डी. मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ में व्यवस्थित परिवार परामर्श केन्द्र को प्रकरण सन्दर्भित किया जा सकता है।

(v) परामर्श के प्रयास के उपरान्त यदि पीड़ित महिला चाहती है कि इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जाय, तो तद्नुसार उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाय।

3. (i) किसी भी थाने पर यदि पीड़ित महिला पारिवारिक कलह की ऐसी सूचना देती है, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, तो थानाध्यक्ष उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करेंगे।

(ii) यदि पीड़िता को चोट आयी है, तो उसका मेडिकल परीक्षण अविलम्ब कराया जायेगा।

4. इस श्रेणी के सभी पंजीकृत अभियोगों की विवेचना जनपद के महिला थाने को स्थानान्तरित की जायेगी।

5. अभियोग की विवेचना महिला थाने में स्थानान्तरित होने के उपरान्त महिला थाने पर उपलब्ध समाज सेवी द्वारा पीड़िता को परामर्श दिया जायेगा कि वह जनपद के न्यायालय में पारिवारिक मध्यस्थता केन्द्र (Mediation Centre) के माध्यम से इस प्रकरण को सुलझाने का प्रयास कर सकती है।

6. यदि पीड़ित महिला को अधिक चोटें हैं और वह पारिवारिक मध्यस्थता केन्द्र से मध्यस्थता नहीं चाहती है, तो अग्रिम विवेचना की जायेगी।

7. यदि पीड़ित महिला को चोट नहीं है या पीड़िता मध्यस्थता चाहती है, तो विवेचक पति व उसके परिवार के सदस्यों को मध्यस्थता केन्द्र में 7-10 दिवस के अन्दर पेश होने

की तिथि निर्धारित करते हुए धारा- 41 (1) (b)/ 41 A Cr.P.C के अन्तर्गत नोटिस देंगी।

8. यदि नामित अभियुक्त मध्यस्थता केन्द्र पर निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते है तो पंजीकृत अभियोग में अग्रिम विवेचना की जायेगी।

9. मध्यस्थता की कार्यवाही अधिक से अधिक 02 माह की नियत अवधि के अन्तर्गत सम्पादित होनी चाहिए। इस 02 माह की अवधि के उपरान्त यदि इसमें समझौता हो जाता है या 02 माह की तिथि से पूर्व ही यह ज्ञात हो जाता है कि समझौता नहीं हो सकता है, तो मध्यस्थता केन्द्र के अधिकारी विवेचक को स्थिति से अवगत करायेंगे। इस कार्यवाही से पीड़िता भी विवेचक को अवगत करा सकती है।

10. मध्यस्थता केन्द्र में सन्दर्भित प्रकरण में यदि सुलह हो जाती है, तो विवेचक अभियोग मे अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

11. यदि मध्यस्थता के उपरान्त भी समझौता नहीं होता है, तो अग्रिम विवेचना की जायेगी।

12. जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, अग्रिम विवेचना निम्न परिस्थितियों में की जायेगी:-

(a) पीड़ित महिला को चोट है और वह मध्यस्थता नहीं चाहती है;

(b) नामित अभियुक्त प्रकरण में मध्यस्थता केन्द्र में उपस्थित नहीं हुआ; या

(c) मध्यस्थता असफल रहती है।

13. (i) अग्रिम विवेचना में साक्ष्य संकलन के उपरान्त विवेचक द्वारा नामित अभियुक्तों की गिरफतारी **केवल** धारा-41(1) (b)(ii) Cr.P.C में उल्लिखित 5 हालातों में से किसी एक के होने की स्थिति में ही की जायेगी, जैसे:-

(a) पीड़िता के पति व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पीड़िता से बहुत अधिक मार पीट की गयी है, जिससे उसकी जान जोखिम में पड़ सकती है या पीड़िता लगातार हिंसा की शिकार है या प्रकरण में असाधारण क्रूरता की परिस्थितियाँ है, जिससे यह माना जा सकता है कि महिला के साथ पुनः क्रूरता या मारपीट हो सकती है; अथवा

(b) पति व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा साक्षियों को उत्प्रेरित या डराया जा सकता है; अथवा

(c) अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को मिटाया जा सकता है; अथवा

(d) अभियुक्त न्यायालय में विचारण के दौरान उपस्थित नहीं होगा; अथवा

(e) विवेचना में आवश्यकता, जैसे गिरफ्तारी उपरान्त बरामदगी हेतु।

(ii) यदि उपरोक्त परिस्थितियाँ नहीं है, तो विवेचक अभियुक्तों को धारा-41A Cr.P.C के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करेंगी अथवा उनको सम्बन्धित न्यायालय से जमानत प्राप्त करने हेतु निर्देशित करेंगी।

(iii) उपरोक्त दोनों स्थितियाँ, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाती है या उनको धारा-41A Cr.P.C के अन्तर्गत नोटिस/जमानत कराने हेतु निर्देश दिये जाते है, में इस निर्णय पर पहुँचने हेतु उपलब्ध तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

(iv) कहने का अभिप्राय यह है कि उपरोक्त 13(i) में दर्शायी गयी परिस्थितियों में ही गिरफ्तारी की जायेगी।

14. सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरान्त विवेचक आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करेंगी।

15. उपरोक्त प्रकरण में परिस्थितियों एवं आवश्यकता को देखते हुए विवेचना महिला थाने से सम्बन्धित थाने को पुनः स्थानान्तरित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सक्षम होंगे।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इस कार्य योजना के बारे में अपने अधीनस्थ अधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं अन्य कर्मचारियों को भली-भाँति अवगत करा देंगे। उपरोक्त निर्देश का पर्यवेक्षण व उनका क्रियान्वयन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

14/05/14

(ए0एल0 बनर्जी)

समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- .

1. अपर पुलिस महानिदेशक, सी.बी.-सी.आई.डी., उ0प्र0, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ।
2. जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।